न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 120/2017 **दायरा दिनांक : 04.09.2017**

उनवान

गंगाराम आत्मज शंकरलाल, जाति बागरी, निवासी चांदखेड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— रामलाल आत्मज पूरा लाल, जाति बागरी, निवासी चांदखेड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— नारायण लाल पुत्र रामलाल, जाति बागरी, निवासी चांदखेड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3— कचरू लाल पुत्र गंगाराम, जाति बागरी, निवासी चांदखेड़ी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 21.10.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – /2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम चांदखेड़ी की आराजी खसरा नम्बर 44/1 रकबा 3 बीघा की स्थायी निषेधाज्ञा बाबत दावा पेश किया, जिसमें प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट की तलबी में दिनांक 20.03.2017 को तारीख पेशी नियत की गई तथा दिनांक 20.03.2017 को प्रतिवादीगण की तलबी नोटिस अप्राप्त होने से पत्रावली नोटिस इन्तजार में दिनांक 24.04.2017 को रखी गई किन्तु दिनांक 24.04. 2017 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई तथा दिनांक 13.05.2017 को राजस्व लोक अदालत में वादी एवं प्रतिवादीगण का आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा होना बताकर निर्णय व डिक्री पारित कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है । अपीलांट के खाते की आराजी ग्राम चांदखेड़ी में खसरा नम्बर 44/1 रकबा 3 बीघा स्थित है जिसका अपीलांट खातेदार टीनेन्ट है । अपीलांट अपने खाते की आराजी पर काश्त करता आ रहा है । अपीलांट को वादग्रस्त आराजी का सम्पूर्ण स्वामित्व व हक हस्तान्तरण प्राप्त है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 का वादग्रसत आराजी में किसी प्रकार से कोई स्वामित्व हासिल नहीं है तथा रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 को वादग्रस्त आराजी में मदाखलत मजाहमत करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है । रेस्पोडेंटगण ताकत के बल पर नाजायज रूप से अपीलांट के खाते की आराजी पर जबरन कब्जा कर मकान निर्माण करना चाहते हैं । उक्त वाद में लोक अदालत में किसी प्रकार का कोई राजीनामा उभयपक्ष के मध्य नहीं हुआ है । वादी का उसकी सम्पूर्ण आराजी 3 बीघा की पैमाइश करवाकर प्रतिवादी को पाबन्द करने की बताकर लोक अदालत में

अंगूठा करवाया है जिस कारण वादी ने अंगूठा लगा दिया था । उक्त अंगूठा निशानी की पहचान भी वादी के वकील से नहीं करवायी गयी । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2017 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 03.08.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । राजीनामे पर आपत्ति दर्ज कर अपील पेश की है । अतः न्याय हित में प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2017 अपास्त की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजीनामे पर दर्ज आपत्ति का निस्तारण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा